219वें सत्र के समापन पर सभापति का वक्तव्य

माननीय सदस्यगण,

राज्य सभा का 219वां सत्र आज समाप्त हो रहा है। यह 22 फरवरी, 2010 को प्रारंभ हुआ था और, बजट सत्र होने के कारण, इसमें मूलत: सरकार का वित्तीय कार्य किया गया।

राज्य सभा द्वारा अधिनियमित महत्वपूर्ण विधानों में, अन्य विधानों के अतिरिक्त, संविधान 108वां (संशोधन) विधेयक, 2008, (जिसे महिला आरक्षण विधेयक के नाम से जाना जाता है); तमिलनाडु विधान परिषद् विधेयक, 2010, राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2010 और उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2010 शामिल हैं।

सरकारी कार्य करने के अलावा, इस सत्र में सदस्यों को पाँच मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा करने का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के पाँच विषयों पर ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं स्वीकृत की गई और उन पर चर्चा हुई। ये प्रस्ताव (1) पैसा देकर प्रसारित कराए जा रहे समाचारों, (2) रेडियोधर्मी विकिरण, (3) एचपीवी वैक्सीन कार्यक्रम, (4) पेयजल में आर्सेनिक की उपस्थिति और (5) भारतीय चिकित्सा परिषद के कार्यकरण में अनियमितताओं से संबंधित थे।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि और टेलिफोन की कथित टैपिंग के संबंध में अल्पकालिक चर्चा भी हुई।

मैंने महासचिव से माननीय सदस्यों को इस सत्र के बारे में सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस सत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि एक नया समेकित 'टॉक-टाइम मैनेजमेंट डिस्पले सिस्टम आरंभ किया जाना था, जो अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न दलों को आवंटित कुल और बकाया समय के संबंध में सूचना उपलब्ध कराता है। यह सिस्टम, शून्यकाल में मूल रूप से किए गए निवेदनों के अलावा अल्पकालिक चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा को भी कवर करता है।

किये गये कार्य के बावजूद सत्र के पर्यावलोकन में इस धारणा से नहीं बचा जा सकता कि व्यवधानों और व्यवधानों से उत्पन्न स्थगनों के कारण बहुत समय नष्ट हुआ है। प्रक्रिया विषयक के नियमों का बार-बार उल्लंधन किया गया। प्रश्नकाल इसका सबसे प्रमुख शिकार हुआ और अनुसूचित 31 बैठकों में से 13 बैठकों में प्रश्नकाल नहीं हो सका।

प्रत्येक तारांकित प्रश्न द्वारा लिये जाने वाले समय का दस्तूर भी उतना ही व्याकुल करने वाला है। हमने प्रत्येक बैठक के लिए 20 प्रश्न स्वीकृत करने की प्रक्रिया बनाये रखी है। व्यवहार में, इनमें से केवल 5 या 6 प्रश्न ही लिये गये क्योंकि पूरक प्रश्न पूछने और उनके

जबाव देने में बहुत अधिक समय लगा। सदस्य इस नियम विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना है जिसके संबंध में उत्तर दिया गया है।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधायी कार्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ। इस लम्बे बजट सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों का विधायी कार्य एक भी बैठक में नहीं किया जा सका। माननीय सदस्यों के पास सभापीठ की अनुमति से विशेष उल्लेख अथवा लोक महत्व के विषयों को उठाने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं था।

कार्य-संचालन में इन प्रवृत्तियों के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियां हुई हैं और इनसे जनसाधारण की निगाह में विधायिका की छवि धूमिल हुई है। इस प्रकार सुधारात्मक कदम उठाना अत्यावश्यक हो गया है।

इस सत्र के दौरान 21 नये सदस्य सभा में शामिल हुए हैं। मुझे विश्वास है कि वे आने वाले दिनों में इस सभा में मूल्यवान योगदान देंगे।

मैं इस अवसर पर सभा के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न राजनीतिक दलो एवं समूहों के नेता तथा माननीय सदस्यों को सभा के समग्र कार्यकरण के लिए सहयोग देने हेतु उनको धन्यवाद देता हूँ।

मैं उपसभापति, उपसभाध्यक्षों के पैनल के सदस्यों और सचिवालय के अधिकारियों तथा स्टाफ को भी उनकी सहायता और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।